

प्रारम्भिक
उपस्थित

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व ता.
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

2 पत्रावली पेज हुए बरील प्रार्थी उपस्थित। परन्तु
बरील प्रार्थी द्वारा बाद पत्रावली की आदेशिका
में "no instruction" अभिलेखित किया।
बादी स्वयं अनुपस्थित है। बाद पत्रावली
का समय-हाजरी समय पेशी में खारिज
किया जा चुका है।
ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र का कोई
सौचिप्य नहीं है। प्रार्थी को तीन-बार ऊक-ऊक
कर भावाज दिलायी गयी। प्रार्थी अनुपस्थित
भर: प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौसल अड्यार होकर नम्बर लेक्य
की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को
सरे खजलास में सुनाया गया।

उप सपण्ड अधिकारी
मामलस